



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण करने वाले 02 अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना चिकासी में पंजीकृत मु0अ0सं0-71/2017 धारा- 363,366 भा0द0सं0 व 08 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.मनोज पुत्र खेमचन्द्र निवासी टोलाखगारन, थाना चिकासी, हमीरपुर 2.बबलू पुत्र रतन नि0 सरसई, थाना राठ, जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी रुद्र प्रताप  
सिंह



विवेचक-  
निरीक्षक राजेश  
सिंह



पैरोकार-थाना चिकासी  
का0 विजय कुमार